रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 977] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 8, 2007/श्रावण 17, 1929
No. 977] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 8, 2007/SRAVANA 17, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2007

आय-कर कल्याण निधि नियमावली, 2007

का.आ. 1379(अ).—आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने के लिए स्थापित आयकर कल्याण निधि के प्रशासन को शासित करने के लिए बनाई गई आयकर कल्याण निधि नियमावली, [दिनांक 24 जुलाई, 1998 के का.आ.627(अ) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित] के अतिक्रमण में, उक्त निधि को चलाने एवं इसके रख-रखाव के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं,नामतः-

संक्षिप्त शीर्षक एवं सीमा

1) इन नियमों को आयकर कल्याण निधि नियमावली, 2007 कहा जाए।
2) आयकर कल्याण निधि (इसके पश्चात 'निधि' कहा जाए) के लाभ कहीं भी कार्यरत आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (इसके पश्चात एकीकृत रूप में 'अधिकारी' कहा जाए) को प्राप्त होंगे।

निधि के उद्देश्य

2. निधि के अन्तर्निहित उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) अधिकारियों के लिए कल्याण, मनोरंजन एवं अन्य बाह्य कार्यकलापों जिससे उनमें साहसिक कार्य करने की भावना भी शामिल है, को बढ़ावा देना। कल्याण कार्यकलापों में मनोरंजन क्लब, पुस्तकालयों,अधिकारियों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, क्रेच की स्थापना, अधिकारियों की

पत्नियों/पतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, अधिकारियों को कम दर पर आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराना, विभागीय कैन्टीनों में और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि शामिल हैं।

(ख) जिस दौरान एक अधिकारी वास्तविक रूप से सरकारी कार्यों के निर्वाहन में संलग्न है उस दौरान उस पर आई विपत्ति जैसे दुर्घटना अथवा किसी चोट के कारण अथवा किसी प्राकृतिक कारण से हुई मृत्यु के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस स्कीम के अंतर्गत लाभ, अधिकारी को उसकी मृत्यु के पश्चात भी मिलते रहेंगे यदि यह साबित हो जाता कि मृत्यु/चोट प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उस घटना के कारण हुई हो जहाँ वह अधिकारी तलाशी, सर्वेक्षण अथवा अन्य किसी कार्यालयीन कर्तव्य के निर्वाहन में संलग्न था।

(ग) एक अधिकारी के सेवाकाल में एवं तब जबकि वह कार्यालयीन कर्तव्यों का निर्वाहन न कर रहा हो, उस दौरान हुई मृत्यु के पश्चात, अधिकारी के परिवार को, शासित निकाय के स्वविवेक पर, अनुग्रह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

(घ) अधिकारियों एवं उनके परिवारों को आपात स्थितियों एवं गम्भीर दुःख की परिस्थितियों के लिए विभिन्न चिकित्सकीय रख-रखाव सुविधाएं उपलब्ध कराना जो उन्हों केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रतिपूर्ति नियमों के अंतर्गत वापस नहीं हुए हैं एवं सर्वेक्षण एवं तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयों में संलग्न अधिकारियों को उच्च जोखिम बीमा उपलब्ध कराना।

(ड.) अधिकारियों के प्रयोग के लिए विभागीय अतिथि ग्रहों एवं यात्री/तीर्थ जैसे महत्वपूण स्थानों में हॉलीडे होम्स का निर्माण/किराए पर लेना/लीज पर लेना/सुसज्जित करना/रख-रखाव करना।

(च) अधिकारियों के कार्य-निष्पादन के संवर्धन एवं कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए कोई अन्य योजना अथवा उपाय।

(छ) प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकम्प, सूखा इत्यादि के द्वारा उत्पन्न हुई कठिनाइयों को हटाने सहित अधिकारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य उद्देश्य।

निधि के स्त्रोत

3(1) निधि का संग्रह 100 करोड. रूपए (एक सौ करोड. रूपए) होगा जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा।

(2) कल्याण निधि में वृद्धि निम्नलिखित अंशदानों से होगी:-

(i) आयकर अधिनियम के अध्याय XX-ग (संपत्ति का पूर्व क्रय अधिकार) अथवा आयकर अधिनियम के अंतर्गत लाए गए ऐसी ही प्रकृति के किसी अन्य उपबन्ध के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिग्रहीत संपत्तियों की बिक्री पर सरकार द्वारा संदत्त प्रतिफल पर बोली के पश्चात प्राप्त 10 प्रतिशत अतिरेक राशि।

(ii) किसी भी स्थापित पारितोषिक योजना के अंतर्गत आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदान किए गए पारितोषिक का 10 प्रतिशत।

(iii) कोई अन्य माध्यम, जैसा भी विहित हो।

वितरणयोग्य निधि

3क. संग्रह निधि को एक ब्याज वाले खाते में रखा जाएगा । पैरा 3 के अनुसार संग्रह निधि पर उद्भूत होने वाले ब्याज एवं वृद्धि का प्रयोग पैरा 2 में सूचीबद्ध किन्हीं भी प्रयोजनों के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

निधि का प्रशासन

4 (1) निधि का प्रशासन एक शासी निकाय द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क)	अध्यक्ष, कन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	संयोजक
(ख)	सदस्य (राजस्व)	सदस्य
(ग)	सदस्य (कार्मिक)	सदस्य
(घ)	वित्तीय सलाहकार/उनका नामिती	सदस्य
(ड.)	आयकर आयुक्त (सी एण्ड एस), के.प्र.क.बो.	सदस्य
(च)	निदेशक (मुख्यालय) के.प्र.क.बो.	सदस्य सचिव

(2) आयकर निदेशक (डी ओ एम एस), के.प्र.क.बो. की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति होगी तथा जिसमें शासी निकाय द्वारा यथा नामित प्रत्येक अंचलों अर्थात् उत्तर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा मुम्बई से आयकर आयुक्त के रैंक का एक अधिकारी होगा तथा भारतीय राजस्व सेवा संघ, आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ तथा आयकर कर्मचारी संघ से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा ।

(3) आयकर निदेश्क (डी ओ एम एस) कार्यकारी समिति का संयोजक भी होगा, जिसकी प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होगी ।

प्रस्तावों की प्रायोजकता

5 (1) मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों के स्तर पर गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर लाभग्राहियों को निधि के लाभ प्रदान करने के विशिष्ट प्रस्तावों का प्रायोजन संबंधित मुख्य आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों द्वारा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा । संयुक्त सचिव (प्रशासन), के.प्र.क.बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अथवा किसी अन्य मंत्रालय/संगठन किन्तु आयकर विभाग से संबंधित, में कार्यरत लाभग्राहियों के प्रायोजक होंगे।

(2) मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों/संयुक्त सचिव (प्रशासन), के.प्र.क.बो./लाभग्राही से प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव पर शासी निकाय को समुचित सिफारिश करने के लिए कार्यकारी समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

संस्वीकृतियाँ एवं संवितरण

6 (1) मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों को शासी निकाय के अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृत के बारे में सूचित किया जाएगा ।

(2) इस मामले में शासी निकाय का निर्णय अंतिम होगा ।

(3) शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित निधियों का आयकर निदेशक (डी ओ एम एस), केन्द्रीय प्रत्यक कर बोर्ड द्वारा संवितरण किया जाएगा ।

लेखांकन प्रक्रिया

7. मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्राप्तियों एवं निधि से व्यय के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया के बारे में अलग से विस्तृत अनुदेश जारी करेंगे ।

अभिलेख

8. इस निधि के संबंध में सभी संस्वीकृतियां एवं वाउचर एक अलग सामान्य फाइल में रखे जाएंगे जिसका रख-रखाव आयकर निदेशक (डी ओ एम एस) द्वारा किया जाएगा ।

लेखा परीक्षा

9. नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष में एक बार खातों की सांविधिक लेखा-परीक्षा की जाएगी ।

संशोधन

10. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही इन नियमों में कोई संशोधन/अंतःस्थापन किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 217/2007/फा.सं. निदेशक (मुख्या.)/अध्यक्ष (डी टी)/(33)/2007]

देबज्योति दास, निदेशक (मुख्यालय)